

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी / समचयक, जिला स्वास्थ्य समिति,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक—एस०पी०एम०य००/एन०आर०एच०एम०/विधि/२३०८-७५

दिनांक 13.12.2012

विषय—: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में विभिन्न कार्यक्रमों हेतु संविदा पर चिकित्सकों की तैनाती के सम्बन्ध में।

महादोष,

मा० उच्च न्यायालय के द्वारा अन्तर्गत रिट याचिका संख्या — 1296 of 2012 (एस/बी), Dr. Dhirndera Kumar & other V's U.O.I. तथा अन्य रिट याचिकाओं में निम्नानुसार आदेश पारित किया गया है।

"Accordingly, we direct the opposite party No.3/Mission Director, National Rural Health Mission, U.P. to re-engage the petitioners against the increased vacancies under the Scheme, if there is no other legal impediment and in case, the vacancies still remain thereafter, said vacancies shall be filled-up in accordance with law.

The writ petition stand disposed of in above terms."

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 हेतु विभिन्न कार्यक्रमों हेतु संविदा पर एस०बी०बी०एस०/बी०डी०एस०/आयुष चिकित्सकों की तैनाती जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा की जानी है/की जा रही है, पुनः संविदा पर लिये जाने हेतु इस कम में पत्र संख्या एस०पी०एम०य००/बी०एस०जी०वाई०१८/२०१२-१३/१५९८-२ दिनांक ०५/१०/१२ द्वारा समायोजन के सम्बन्ध में सुस्पष्ट निर्देश दिये गये हैं (पृष्ठ-२ प्रस्तर-३)। पुनः निर्देशित किया जाता है कि मा० उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करे, मा० उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पूर्व में भी निम्नानुसार अनुमति प्रदान की गयी हैं।

1. यदि रिक्त पदों पर नवीन तैनाती की जानी है तो पूर्व से अनुबन्ध पर कार्यरत रिट याचिकाओं से सम्बन्धित एन०आर०एच०एम० के अन्तर्गत संविदा चिकित्सकों का विगत वर्ष के कार्यों का मूल्यांकन निर्धारित प्रारूप पर करते हुए सुयोग्य पाये जाने पर पुनर्झनुबन्ध किया जाए।
2. उपर्युक्त स्वीकृति जिला स्वास्थ्य समिति को इस आशय से दी जा रही है कि एन०आर०एच०एम० कार्यक्रम के अन्तर्गत चिकित्सकों के रिक्त पदों पर उपरोक्त आदेशों से सम्बन्धित जनपदों में संविदा के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार चिकित्सकों की तैनाती करना सुनिश्चित करे।

भवदीय,

12/12/12
(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक,

पत्रांक—एस०पी०एम०य००/एन०आर०एच०एम०/विधि/

दिनांक .11.2012

प्रतिलिपि—: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला अधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
7. समस्त महाप्रबन्धक, एस०पी०एम०य००, एन०आर०एच०एम० लखनऊ।
8. वित नियंत्रक, एन०आर०एच०एम०, एस०पी०एम०य०० लखनऊ।
9. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन०आर०एच०एम०।

1
(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक,